सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 232

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग

901(द.), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 19 जुलाई, 2022

विषय: अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28 जून, 2022 को आयोजित 148वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।
(Minutes of the 148th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 28 June, 2022 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 28 जून, 2022 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 148वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीया,

19/7/2022

(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.06.2022 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित 148वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 148वीं बैठक दिनांक 28.06.2022 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की गई।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस 148वीं बैठक में दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 के तिमाही आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढाने के लिए अपने सभी सरकारी कार्य हिंदी में ही करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिंदी की प्रगति बढ़ाने हेतु अपना-अपना योगदान दें जिससे कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात् समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा कहा कि आयोग में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा नीति एवं नियमों का अनुपालन उचित रूप से किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है। इसके बाद उन्होंने उप निदेशक (रा.भा.) को मदवार कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया। तत्पश्चात, समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपनिदेशक (रा.भा.) ने मदवार कार्रवाई शुरू की।

सदस्य सचिव ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि दिनांक 17.3.2021 को आयोजित की गई पिछली बैठक के कार्यवृत्त 05.04.2022 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिए गए थे। इस संबंध में इस पर कहीं से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। समिति के सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई।

इसके बाद सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत करवाया और मदवार चर्चा शुरू की।

समिति के उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध 'क' पर संलग्न है। उक्त बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैः-

1. सदस्य सचिव ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 10 कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन करने संबंधी मामला अभी भी जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय / वित्त मंत्रालय में लंबित है। इस संबंध में निदेशक, स्थापना-7 ने सूचित किया कि इस विषय में मंत्रालय से कुछ ही दिन पहले उन्होंने बात की है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में पुन: अनुस्मारक भेजा जाए। गहन परिचर्चा के बाद, अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि जब तक अनुवादकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है तब तक इन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कसल्टेंट की नियुक्ति की जा सकती है। इस संबंध में इन कार्यालयों को पत्र भेजा जाए।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग)

2. उप सचिव एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को वॉइस टूल का उपयोग करते हुए हिंदी में कार्य करने के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) कार्यालय में यह सुविधा पूरी तरह से उपयोग में लाई जा सके इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं तथा हिंदी अनुभाग एवं तीनों समन्वय निदेशालयों में इसे कंप्यूटर पर इंस्टाल कर इसका उपयोग किया जाए। इसके लिए उचित होगा कि एसएमडी निदेशालय द्वारा पहले तीनों समन्वय निदेशालय के 2-3 लोगों को ट्रेनिंग करा दी जाए तथा यह सुविधा सहायक निदेशक स्तर तक के अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी अधिकारी आसानी से अपना सरकारी काम अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी में कर सकें। साथ ही, हिंदी अनुभाग के सभी कंप्यूटरों में विंडो-10 अपलोड करने तथा कंप्यूटरों के रैम को 6 जीबी तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया जिसके संबंध में निदेशक, एसएमडी ने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

3. सदस्य सचिव महोदया ने तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बताया कि मुख्य अभियंता, हैदराबाद कार्यालय द्वारा धारा 3(3) तथा कोलकाता कार्यालय द्वारा नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने इन कार्यालयों को इस संबंध में पत्र लिखने का निदेश दिया।

(कार्रवाईः क्षेत्रीय कार्यालय / हिंदी अनुभाग)

4. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों पर चर्चा करते हुए यह बताया गया कि बार-बार पत्र भेजने के बाद भी कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अथवा/और हिंदी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन कार्यालयों को तुरंत इस आशय का पत्र भेजने हेतु निदेश दिया कि उल्लंघनकर्ता कार्यालय यह स्पष्टीकरण दें कि किन कारणों की वजह से राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रत्येक तिमाही में नियमानुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अथवा/और हिंदी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। इस संबंध में पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एवं बंगलुरू कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय)

5. केंद्रीय जल आयोग के विभिन्न निदेशालयों/अनुभागों एवं स्कंधों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के निरीक्षण के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में आंतरिक निरीक्षण पर भी पूरा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि अब तक केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के 20 अनुभागों/निदेशालयों का निरीक्षण कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने इसे आगे भी जारी रखने का निदेश दिया ।

(कार्रवाईःहिंदी अनुभाग)

6. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की परिचर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने संसदीय समिति द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में उल्लेख करते हुए कहा कि हमें अपने अधीनस्थ कार्यालयों का लक्ष्य अनुरूप निरीक्षण करना चाहिए। सदस्य सचिव महोदया ने इस संबंध में उल्लेख किया कि संसदीय समिति ने इस संबंध में हमसे आश्वासन भी लिया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति एवं नियमों का अनुपालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है, जैसे- बंगलुरू, कोलकाता, शिलांग, गुवाहाटी तथा कोयंबटूर आदि, इन कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया जाए ताकि इन कार्यालयों द्वारा भी राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय)

7. कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति को सुदृढ़ करने तथा कार्मिकों को हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने हिंदी अनुभाग को केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में हिंदी में तकनीकी आशु-भाषण प्रतियोगिता (Technical Extempore-Speech in Hindi) आयोजित करने का निदेश दिया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 28 जून, 2022 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित 148वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	डॉ. राकेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	श्री जे.चन्द्रशेखर अय्यर, सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, के.ज.आ.	सदस्य
3.	डॉ. समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	इन्द्रजीत हाडा, निदेशक (प्रशा.), के.ज.आ.	सदस्य
5.	शिशिर कुमार नंदा, निदेशक (स्थापना-1), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
6.	भूपिन्द्र सिंह, निदेशक, जल आयोजना, परियोजना (सम.) निदे., के.ज.आ.	सदस्य
7.	शिव दत्त शर्मा, निदेशक, एसएमडी निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
8.	संजय गंगवार, निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
9.	अभय कुमार, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
10.	एस.के.राजन, निदेशक, तकनीकी समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
11.	श्रीमती वेलगा कुमारी, उप निदेशक, नदी प्रबंध सम.निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
12.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
3.	इंद्रा एस., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
4.	पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग